भारत सरकार
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2736
04 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: ब्याज छूट योजना के तहत मौजूदा सीमा को बढ़ाना
2736. श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:
क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): क्या सरकार इस बात से अवगत है कि खेती की लागत में बढ़ी वृद्धि के बावजूद ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत पात्र फसल ऋण के लिए 3 लाख रुपये की मौजूदा सीमा लगभग दो दशकों से अपरिवर्तित बनी हुई है;

(ख): क्या सरकार को बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मशीनरी एवं श्रम जैसी कृषि लागतों में वृद्धि के मद्देनज़र उक्त सीमा को बढ़ाने की मांग करने वाले किसानों, किसान संगठनों तथा राज्य सरकारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग): क्या सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से इस योजना के अंतर्गत रियायती ब्याज के लिए पात्र फसल ऋण की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर कम-से-कम 7 लाख रुपये अथवा 10 लाख रुपये करने का विचार है;

(घ): यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रस्तावित संशोधित सीमा और उसके कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा क्या है;और

(ङ): यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ङ): भारत सरकार द्वारा पूर्णतः केंद्रीय वित्तपोषित केंद्रीय क्षेत्र की संशोधित ब्याज सहायता योजना देशभर में पात्र ऋणदायी संस्थानों के माध्यम से संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी (वर्किंग कैपिटल) की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से प्राप्त अल्पकालीन कृषि ऋण पर रियायती ब्याज दर उपलब्ध कराना है।

संशोधित ब्याज सहायता योजना (MISS) के अंतर्गत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से 7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए पात्र ऋणदायी संस्थानों को 1.5 प्रतिशत ब्याज सहायता (Interest Subvention-IS) प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3 प्रतिशत की समय पर पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (Prompt Repayment Incentive-PRI) प्रदान की जाती है, जिससे किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर घटकर 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष रह जाती है। इस योजना के अंतर्गत ब्याज सहायता (IS) तथा समय पर पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (PRI) का लाभ ₹3 लाख तक के फसल ऋण पर उपलब्ध है। तथापि, यदि अल्पकालीन ऋण फसल उत्पादन के अतिरिक्त संबद्ध कृषि गतिविधियों (Allied Activities) के लिए लिया जाता है, तो इसके लिए पात्र ऋण सीमा ₹2 लाख तक निर्धारित है।वर्तमान में देश में लगभग 7.81 करोड़ सक्रिय किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) खाते हैं, जिन पर कुल ₹10.39 लाख करोड़ का बकाया ऋण है। इनमें 46.5 लाख पशुपालन (Animal Husbandry) तथा 1.28 लाख मत्स्य पालन (Fisheries) से संबंधित केसीसी खाते शामिल हैं।

संशोधित ब्याज सहायता योजना (MISS) के अंतर्गत फसल ऋण की सीमा बढ़ाने संबंधी अभ्यावेदन समय-समय पर प्राप्त होते रहे हैं। योजना के अंतर्गत पात्र ऋण सीमा का निर्धारण जिला/राज्य स्तरीय तकनीकी समितियों द्वारा निर्धारित स्केल ऑफ फाइनेंस (Scale of Finance-SoF) के आधार पर किया जाता है। इसका निर्धारण खेती के क्षेत्रफल, फसल/गतिविधि-वार कार्यशील पूंजी की आवश्यकता तथा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अनुमेय अन्य घटकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। राज्य स्तरीय तकनीकी समितियां, जिला स्तरीय तकनीकी समितियों की अनुशंसाओं के आधार पर तथा खेती की लागत में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, स्केल ऑफ फाइनेंस (SoF) का प्रतिवर्ष पुनरीक्षण करती हैं। किसानों को पर्याप्त संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्केल ऑफ फाइनेंस (SoF) संबंधी दिशा-निर्देशों तथा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) दिशा-निर्देशों में भी समय-समय पर संशोधन किए जाते रहे हैं। समय के साथ अधिसूचित स्केल ऑफ फाइनेंस (SoF) से इसका संबंध यथावत रखते हुए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की रूपरेखा का विस्तार करते हुए कार्यशील पूंजी के पात्र घटकों में कटाई उपरांत व्यय, कृषि परिसंपत्तियों के रख-रखाव, बीमा तथा मृदा स्वास्थ्य परीक्षण जैसी प्रौद्योगिकी-आधारित गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, नाबार्ड द्वारा वर्ष 2025 में स्केल ऑफ फाइनेंस (SoF) संबंधी दिशा-निर्देशों का पुनरीक्षण किया गया, जिसमें डिजिटलीकरण, मानकीकरण तथा असमानताओं को कम करने पर विशेष बल दिया गया। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के अंतर्गत औसत ऋण राशि वर्ष 2013-14 के लगभग ₹0.60 लाख से बढ़कर वर्ष 2025-26 में लगभग ₹1.33 लाख हो गई है, जो किसानों को उपलब्ध संस्थागत ऋण की पर्याप्तता में सुधार का संकेत देती है।

किसानों, विशेषकर लघु एवं सीमांत किसानों, को उनकी आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त कृषि ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना को समय-समय पर और अधिक सुदृढ़ किया गया है। इसके अंतर्गत योजना का दायरा पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन गतिविधियों के साथ-साथ बटाईदार किसानों, मौखिक पट्टेदारों, साझेदारी किसानों, संयुक्त देयता समूहों (Joint Liability Groups-JLGs) तथा स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups-SHGs) तक विस्तारित किया गया है। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (Priority Sector Lending) संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंकों के लिए लघु एवं सीमांत किसानों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु 10 प्रतिशत का उप-लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, बिना गारंटी (Collateral-free) ऋण की सीमा को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.6 लाख तथा तत्पश्चात 1 जनवरी, 2025 से ₹2 लाख कर दिया गया है। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से शीघ्र ऋण उपलब्ध कराने के लिए जनसमर्थ (Jansamarth), ई-केसीसी (eKCC) तथा कृषिका (KRISHIKA) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं अनुप्रयोगों का उपयोग किया जा रहा है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप संस्थागत कृषि ऋण का प्रवाह वर्ष 2014-15 के ₹8.45 लाख करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹28.67 लाख करोड़ हो गया है। इसी अवधि में संशोधित ब्याज सहायता योजना (MISS) के लिए वार्षिक बजटीय आवंटन ₹6,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹22,600 करोड़ कर दिया गया है। मार्च, 2026 तक इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रदान की गई संचयी सहायता ₹2.05 लाख करोड़ से अधिक हो चुकी है। संशोधित ब्याज सहायता योजना (MISS) मुख्यतः लघु एवं सीमांत किसानों को लाभान्वित करती है, जो कुल लाभार्थियों के 85 प्रतिशत से अधिक हैं। इसके अतिरिक्त, कुल लाभार्थियों में महिला किसानों की हिस्सेदारी 22 प्रतिशत से अधिक है।
